न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– एम०– 28/2024

वाद का प्रकार– धारा– 126 भा०ना०सु०सं०

प्रदीप मिंज –बनाम– लाल खान वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– 63/2024 एवं **थाना प्रभारी, जारी थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **09/2024 दिनांक– 05.09.2024** में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा– 126 तहत प्रास्तव प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक 1. प्रदीप मिंज, पिता अमरूस मिंज, ग्राम– गोविन्दपुर, थाना– जारी, जिला– गुमला –बनाम– 1. लाल खां, पे०– स्व० जुमन मियां 2. नसीव मियां, पिता– स्व० जुमन मिंया दोनों सा०– गोविन्दपुर, थाना– जारी, जिला– गुमला उनके बीच जमीन विवाद के कारण उत्पन्न विधि–व्यवस्था की स्थिति में न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। अंकनीय है कि संबंधित पक्षकारों के द्वारा न्यायिक कार्यविधि के संपूर्ण काल में ना तो तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया और ना ही Bond Down किया गया।

अतः प्रश्नगत मामला में संबंधित पक्षकारों के द्वारा न्यायालय में तथ्यों का पूर्ण प्रस्तुतीकरण नहीं करने एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा– 126 के तहत विर्निदिष्ट समयावधि पूर्ण होने कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार लोक परिशांति व विधि–व्यवस्था बनाए रखेंगे।

लेखापित एवं संशांधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2025.11.01 15:31:32 +05:30
Location: 10.93.204.131